International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-1, Issue-5
October-2014
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

नवोदय विद्यालय ग्रन्थालय में शिक्षण माध्यम तथा भाषानीति का संक्षिप्त विवरण

ROLI SHARMA
Research Scholar
Sunrise University
Alwar, Rajasthan

DR. SHEELA KUMARI SINGH
Supervisor
Sunrise University
Alwar, Rajasthan

सार

वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्रकाश का वह श्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा से तात्पर्य ईश्वर भक्ति तथा धर्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशकता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार आदि से है। प्राचीन काल में शिक्षा की विधि मौखिक थी तथा छात्रों को आचार्य द्वारा बताई गयी बातों को कंठस्थ करना होता था तथा छात्र शिक्षा–दीक्षा का कार्य आश्रमों एवं गुरूकुलों में होता था। आधुनिक एवं नई शिक्षा नीति की कडी में एक अध्याय नवोदय विद्यालय के रूप में जुडा और आधुनिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने तथा उन गरीब एवं निर्धन परिवारों से सम्बन्धित बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 श्री राजीव गांधी द्वारा ग्रमीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में औसतन एक विद्यालय की स्थापना की जाये यह परिकल्पना की गयी। दसवी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षो में 50 विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से 150 विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, जो इस योजना के शुरू होने से पहले ही स्वीकृत 280 विद्यालयों के अतिरक्ति है। 31 मार्च 1996 तक जिन राज्यों में यह योजना लागू हुई उनके 444 में से 378 जिलों में विद्यालय स्थापित हुये। उत्तर प्रदेश के 68 जिलो में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है।

नवोदय विद्यालय

सर्वप्रथम सन् 1698 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रयासों से मुम्बई तथा मद्रास में कुछ दान आश्रित विद्यालय खाले गये जिनका उद्देश्य अंग्रेजों, ईसाइयों कम्पनी के कर्मचारियों तथा जनसाधारण के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। सन् 1840 में बम्बई में शिक्षा बोर्ड का तथा 1865 में बंगाल में शिक्षा परिषद का निर्माण हो चुका था। सन् 1856 के अन्त तक सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका था जिसका श्रेय वुड को जाता है।

सन् 1844 में लार्ड हार्डिज्ज द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाने की घोषणा के फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की गति तीव्र हो गयी थी। 1859 ई0 के आदेश पत्र में सहायता अनुदान को उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए सीमित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा पर व्यय करने के लिये अधिक धन उपलब्ध होने लगा जिससे इस स्तर पर शिक्षा की आशातीत उन्नति हुई। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्नों के साथ–साथ भारतीयों एवं मिशनरियों ने भी सराहनीय कार्य किये। परिणामस्वरूप सन् 1882 ई0 के अन्त तक माध्यमिक विद्यालय अवाधगति से बढ़े।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1953 में ताराचन्द्र समिति और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की सिफारिशों के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। उस समय भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय जिनमें माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है मीडिल स्कूल, हार्स्कूल, उच्च माध्यमिक तथा इन्टरमीडिएट कालेज आदि। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण की दिशा में अति सराहनीय प्रगति हुई है। सन् 1958–59 में 14335 हायर सेकेण्ड्री स्कूल थे।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार की अपेक्षा शिक्षा के स्तर को सुधारने पर अधिक बल दिया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2115 बहुउद्देशीय स्कूल खोले गये। तद्पश्चात तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के स्तर को और ऊँचा तथा व्यापक बनाने के लिये केन्द्र सरकार ने सौ से अधिक आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्हें केन्द्रीय स्कूल कहते हैं, की स्थापना की गई। वर्तमान समय में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 7 संघ शासित राज्यों में संचालित है। यह सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा 6 से किये जाते है। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं श्रेत्रीय भाषा है। इसके बाद गणित और विज्ञान के लिये अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान के लिये हिन्दी माध्यम है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में सम्मिलित भी हो सकते हैं। नवोदय विद्यालयों में 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 25 प्रतिशत शहरी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

नवोदय विद्यालय की ढांचागत व्यवस्था

वास्तव में, नवोदय विद्यालय योजना सैद्धान्तिक दृष्टि से शैक्षिक विषमता को दूर करने वाली एक अच्छी योजना प्रतीत होती है। इन विद्यालयों की प्रमुख मान्यता है कि गांव के प्रतिभाशाली बच्चे भी, चाहे उनका आर्थिक सामाजिक स्तर कैसा भी क्यों न हो इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वास्तव में ग्रामीण बालक दोहरे अभाव के शिकार हैं : प्रथम उनके घर के निकट अच्छे स्कूल नहीं है तथा द्वितीय गैर सरकारी स्तर पर चलाये जा रहे अच्छे स्कूल अत्यधिक महगें होने के कारण उनकी पहुंच के बाहर है। इसके अतिरिक्त दूरी के कारण यदि बच्चों को छात्रावास में रखना पडे तो खर्च इतना अधिक होता है कि वह सामान्य व्यक्ति के बस से बाहर की बात है। अतः सरकारी व्यय पर निर्धन प्रतिभावान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से खोले जा रहे नवोदय विद्यालय की सहायता से समाज में बढ रही शैक्षिक विषमता को दूर करने में सहायता मिल सकने की आशा तो की ही जा सकती है परन्त इस सैद्धान्तिक पक्ष की व्यवहारिकता पर भी दृष्टि डालना आवश्यक होगा। ऐसा तो नहीं कि इन नवोदय विद्यालयों में निर्धन व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को प्रवेश मिल ही न सके। नवोदय विद्यालयों में निर्धन प्रतिभावान छात्र भी प्रवेश पा सकेंगे इस बात को स्वीकार करने में मुख्य संकोच है कि क्या चयन परीक्षा में सुविधाविहीन निर्धन छात्र स्वयं को सुविधा सम्पन्न धनी छात्रों से श्रेष्ठ प्रमाणित कर सकेंगे?

दाखिला, शिक्षण माध्यम तथा भाषा नीति

जवाहर नवोदय विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आयोजित एवं संचालित परीक्षा के आधार पर कक्षा 6 में दाखिला दिया जाता है। यह एक ऐसी परीक्षा है जो गैर मौखिक, कक्षा तटस्थ एवं इस प्रकार की होती है कि उससे सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे प्रतियोगिता में कठिनाई के सफल हो सके। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का अभाव होता है अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूरदराज के ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क एवं आसानी से दाखिला दिया जा सके। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिये परीक्षा में बैठने की पात्रता एवं मापदण्ड निम्नलिखित है :–

1. नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा में बैठने हेतु यह आवश्यक है कि उम्मीदवार ने प्रवेश से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
2. अभ्यर्थी की आयु विद्यालय प्रवेश के समय 9 से 13 वर्ष के बीच की हो।
3. किसी भी आपात स्थिति में अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

नवोदय विद्यालयों में दाखिल किये गये अधिकांश छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़कर आये होते हैं, अतः उन्हें कक्षा 8 तक की शिक्षा उसी माध्यम से दी जाती है।

इस अवधि के दौरान भाषा विषय तथा सहमाध्यम, दोनों ही रूपो में हिन्दी तथा अंग्रेजी का गहन शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात् सामाजिक अध्ययनों एवं मानविकी विषयों के लिए सभी नवोदय विद्यालयों में परीक्षा का माध्यम हिन्दी है और गणित तथा विज्ञान के लिये अंग्रेजी।

नवोदय विद्यालयों की योजना में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की व्यवस्था है। हिन्दी भाषी जिलों में पढ़ाई जाने वाली तीसरी भाषा छात्रों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली तीसरी भाषा उन 30 प्रतिशत छात्रों की भाषा है जो गैर हिन्दी भाष्झी ोत्रों से उस विद्यालय में स्थानान्तरित हुये होते हैं।

नवोदय विद्यालय भवन

जवाहर नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों के निकायों के अभिकरणों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। केन्द्रीय भवन अभियान्त्रिक संगठन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को देश भर में निर्माण कार्य करने के लिये प्रमुख अभिकरणों के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा समिति के नाम आवश्यक भूमि का हस्तान्तरण कर देने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है। पहले निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाता है,–शून्य चरण, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। पहले की स्वीकृति के अनुवार शून्य चरण में सभागार, रसोई भोजनालय, कार्यशालाओं के 2 भवन व अस्थाई शौचालयों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने विद्यालय भवन का एक ऐसा नक्शा विकसित किया है। जिसके अनुसार प्रारम्भिक चरण में ही कक्षाओं तथा शयनशालाओं का विकास, आवास एवं पुस्तकालय भवन आदि का निर्माण किया जायेगा। पुस्तकालय भवन के लिये अलग से कोई ब्लाक या बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है यद्यपि विद्यालय के मुख्य भवन में ही आवश्यकतानुसार लगभग 250 वर्ग फुट का एक हालनुमा कमरा बना दिया जाता है।

जैसा कि सर्वविदित है किसी भी विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुस्तकालय होता है। अतः नवोदय विद्यालय में भी पुस्तकालयों पर ध्यान दिया जाता है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है तकि केन्द्र सरकार नवोदय विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई पुस्तकों, वर्दी तथा भोजन आदि पर करोड़ों रूपये खर्च करती है परन्तु पुस्तकालय छात्रों को पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है।

बजट और लेखा

नवोदय विद्यालय समिति के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से प्राप्त अनुदानों से दी जाती है। इस वर्ष 2014–15 में मंत्रालय ने रु0 1342.22 करोड की राशि जारी की। इसके अतिरिक्त 225 करोड़ जो खर्च होने शेष रह गये थे उनको वर्ष 2015–16 में खर्च करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है।

नवोदय विद्यालय का स्वरूप

नवोदय विद्यालय पुस्तकालय से तात्पर्य ऐसे पुस्तकालय से है जहां 6 से 16 वर्ष की आयु तक के पढने वाले बच्चे होते हैं। अतः इनका स्थान विद्यालय के केन्द्र में होता है। जहां सभी विद्यार्थी परेशानी या समय बर्बाद न करके आसानी से विद्यालय पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। छोटी आयु वर्ग के विद्यार्थियों को देखते हुय पुस्तकालय भवन, फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता है जिसे हम नीचे दिये गये निम्न बिन्दुओं द्वारा परिभाषित कर सकते हैं :–

पुस्तकालय भवन एवं साजसज्जा :

पुस्तक सग्रह के पूर्ण तथा उचित उपयोग हेतु किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान में एक पूरे खण्ड की आवश्यकता होती है जिसे पुस्तकालय खण्ड कहते हैं। यदि किसी नये शिक्षण संस्थान के निर्माण की योजना बनायी जाये तो उसकी आरम्भ में ही इस प्रकार के खण्ड की योजन बना लेनी चाहिये। पुस्तकालय खण्ड में निम्न चीजे सम्मिलित होनी चाहिये।

1. मुख्य पुस्तकालय खण्ड जहां पर सामान्य पुस्तकों का संग्रह वे तथा जहां पुस्तकालय का अधिकांश गृह कार्य किया जा सके।
2. पुस्तकालय कक्षा का कार्य, गृह जिसमें उचित मात्रा में अलमारियां तथा भण्डार ग्रह हो जहां पर उन पुस्तकों को रख कर या तो निकट भविष्य में उपयोग में लाई जाये या उनकी पुनः जिल्दसाज करवायी जानी चाहिये।
3. एक ऐसा गृह भी आवश्यक है जहां पुस्तकालयध्यक्ष अपने कार्य जैसे प्रसूचीकरण या मरम्मत कार्य इत्यादि किसी व्यवधान के कर सकते हो।
4. एक या दो सभा कक्ष जिसमें 10 से 12 व्यक्तियों के बैठने की जगह हो, जहां पर छोटे–छोटे समुदाय संगठित कार्य अथवा वार्तालाप किया जा सके एवं जो मुख्य पुस्तकालय में बिना किसी कार्य में बाधा डाले संभव हो सके।
5. एक विशेष गृह, जहां दुर्लभ पुस्तकें जो कभी–कभी उपयोग में आती हो को रखा जा सके।
6. किसी भी बडे शिक्षण संस्थान में अतिरिक्त पाठकों की सुविधा हेतु एक पाठन गृह आवश्यक है जहां पर समाचार, पत्र–पत्रिकायें तथा लेख इत्यादि पाठन हेतु उपस्थित रहे।

मूलभूत रूप से किसी भी पुस्तकालय को एक पूरी कक्षा के अतिरिक्त उचित संख्या में व्यक्तिगत पाठकों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। पुस्तक संग्रह हेतु शिक्षण संस्था में भविष्य में उपयोग में आने वाली पुस्तकों की संख्या का पूर्वानुमान लगाना चाहिये यदि पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के लिये कोई कक्ष नहीं है तो पुस्तकालय के किसी कक्ष का एक भाग उनके कार्य हेतु निर्धारित किया जाना चाहिये। यदि भवन जहां शिक्षण संस्था खुल रही है एवं पूर्व में ही स्थापित है तब तो उनके कक्षों की माप बदलना संभव नहीं है। इस स्थिति में उपलब्ध कक्षों के अधिकाधिक उपयोग हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिये किन्तु यदि पुस्तकालय निर्माणाधीन है तो किसी भी संस्था के पुस्तकालय में जो आवश्यकतायें होती है उन सबको ध्यान में राकर ही विधि कार्य करवाना उचित होगा।

पुस्तकालय उपस्कर :

किसी भी शिक्षण संस्था की पुस्तकालय में लगाये गये उपस्कर का शिक्षा के स्तर से बहुत निकट का सम्बन्ध होता है। अतः बैठने के लिये कुर्सियां आरामदायक तथा उचित ऊंचाई की होनी चाहिये तथा किसी भी पुस्तकालय में यह प्रयास किया जाना चाहिये कि कक्षा जैसा वातावरण न हो, इस हेतु सामान्य कक्षा में उपयोग की जाने वाली मेजें तथा अन्य उपस्कर पुस्तकालय में उपयोग नहीं किये जाने चाहिये। समस्त शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय में एक सामान्य वातावरण बनाये रखने हेतु इस दिशा में परिपक्व व्यक्तियों की कल्पनाओं की मदद लेनी चाहिये। साथ ही

साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि यह सिर्फ भव्य ही न हो बल्कि उपयोगी भी हो। सम्पूर्ण पुस्तकालय में एक ही प्रकार की मेजों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये इसमें विविधता लाने हेतु आयताकार तथा वृत्ताकार मेजों का समागत किया जाना चाहिये। मेजों की माप नियमानुसार से बडी नहीं होनी चाहिये।

सारांश

विगत अध्याय के विवेचन के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित लगभग समस्त विद्यालय पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण की ओर न तो समुचित ध्यान दिया जाता है और न ही पुस्तकालय कर्मचारी इस कार्य में अधिक रूचि रखते है। जबकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में समस्त विद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने आप को नवीन जानकारियों एवं खोजों आदिसे अद्यटन रखना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि आज के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में पुस्तकालय का स्वरूप बडी ही तीव्र गति से बदल रहा है। जहां एक ओर आज से कुछ वर्ष पहले तक पुस्तकालय में केवल पुस्तकों, संदर्भ ग्रन्थों एवं पत्र–पत्रिकाओं आदि का ही संग्रह एवं संरक्षण किया जाता था वहीं आज के युग में पुस्तकों का स्थान, सी0डी0, वीडियों–आडियों, कैसेट्स, कम्प्यूटर डाटा, तथा डी0वी0डी0 आदि ने ले लिया है। अतः उपर्युक्त अमुद्रित पाठ्य सामग्री का संग्रह एवं संरक्षण उनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं है। विगत अध्याय के अवलोकन एवं विभिन्न नवोदय विद्यालय ग्रन्थालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मौखिक साक्षात्कार से यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि विद्यालयों के पास कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण के लिये आवश्यक धन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है।

एक अच्छे पुस्तकालय हेतु अच्छी पुस्तकों का चयन तथा प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों का होना बहुत ही जरूरी है। उपयोगकर्ता की दृष्टि से तथा उनकी आवश्यकतानुसार भी पाठ्य सामग्री का चयन होना चाहिये। जिससे सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों की सहायता भी लेनी चाहिये तथा पुस्तकालय में वहीं पाठ्य सामग्री खरीदी जानी चाहिये जिसका अधिकतम उपयोग हो सके तथा जो अत्यधिक ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजनात्मक हो। इस तरह के साहित्य में पुस्तकें, पत्र–पत्रिकायें तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि का चयन बडी ही सावधानीपूर्वक करना चाहिये।

नवोदय विद्यालयों ने वृद्धि और विकास की एक नई शिक्षा शैली की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली, बुद्धिमान एवं होनहार बच्चों को पहचानना और उनका विकास करना है। इन संस्थानों की स्थापना ऐसे आदर्श एवं प्रेरणादायक संस्थानों के रूप में की गई है जो भारत की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर आधारित एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली प्रणाली की राह पर आगे ले जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोयल, सीमा. 2013. पुस्तकालयाध्यक्ष, सी.बी.आई.अकादमी गजियाबाद, दूरभाष चर्चा, दिनांक 09.10.2013.
2. बघेल, डी.एस. 2002. शोध पद्धति. आगरा : सहित्य भवन पब्लिशर्स.
3. मार्टिन, कीर्ति. 2008 पुस्तकालय प्रभारी, जवाहरलाल नेहरू अकादमी पुस्तकालय, सागर (म.प्र.), साक्षात्कार, दिनांक 22.02.2008.
4. रशीद, अब्दुल. 2011. पुस्तकालय प्रभारी, शेरे–कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर (जम्मू–कश्मीर), दूरभाष चर्चा, दिनांक 03.03.2008.
5. वाल्के, प्रकाश. 2007 पुस्तकालयाध्यक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, साक्षात्कार दिनांक 25.05.2007.
6. व्यास, एस.व्ही, 2008 पुस्तकालय प्रगंध. जयपुरः पंचशील प्रकाशन.
7. शर्मा, लादूलाल, 2007 पुस्तकालयाध्क्ष राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, दूरभाष चर्चा दिनांक 28.10.2007.
8. शास्त्री आचार्य जगदीश लाल. 1983 मनुस्मृति (हिन्दी भाष्य, संस्कर्ता) नई दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास.
9. सरस्वती. महार्षि दयानंद 200. ऋग्वेद (दिन्दीभाष्य, संपादन) नई दिल्ली : सार्वदेशिका आर्य प्रतिनिध सभा
10. सक्सेना,एम.एस.1984. पुस्तकालय संगठन संगठन एवम् व्यवस्थापन. भोपाल : म.प्र. ग्रन्थ एकादमी.